हाईकोर्ट का अहम फैसला

सार्वजनिक विकास व बिजली परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों की पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं

जबलपुर @ पत्रिका. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य में बुनियादी ढांचे और विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया है। एसीजे विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने साफ किया है कि जब राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत शक्तियां प्रदान करती है, तो टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसके तहत बिजली लाइन बिछाने या टॉवर स्थापित करने के लिए संबंधित भूमि स्वामी की पूर्व लिखित सहमति लेना अनिवार्य नहीं रह जाता।

इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में निचली अदालत व हाईकोर्ट में लंबित दीवानी मुकदमों और अंतरिम आदेशों की जानकारी छिपाकर याचिका में निल दर्शाया गया था। न्यायालय ने इसे स्वच्छ हाथों से कोर्ट न आने का दोषी माना और बिना आधार के लोक-परियोजना में रुकावट डालने के लिए दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक एक लाख रुपए का भारी हर्जाना (कॉस्ट) लगाया, जो प्रतिवादी नाहर पॉली फिल्म्स को देय होगा। कोर्ट ने मंडीदीप (रायसेन) क्षेत्र में 132 केवी मंडीदीप-नाहर ट्रांसमिशन लाइन के द्वितीय सर्किट निर्माण को चुनौती देने वाली दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एवं आदिल सिद्दीकी की दो अलग-अलग याचिकाओं को सारहीन मानकर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उनकी निजी औद्योगिक भूमि और परिसर से होकर गुजरने वाला बिजली का मार्ग अवैध है और इसे बदला जाना चाहिए। प्रतिवादी नाहर पॉली फिल्म्स की ओर से अधिवक्ता नवतेज सिंह रूपरांह ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय-दृष्टांतों के तहत यह मांग अनुचित है। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों का संदर्भ देते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति और औद्योगिक विकास जैसे जनहित के कार्यों में व्यक्तिगत हित बाधक नहीं बन सकते।

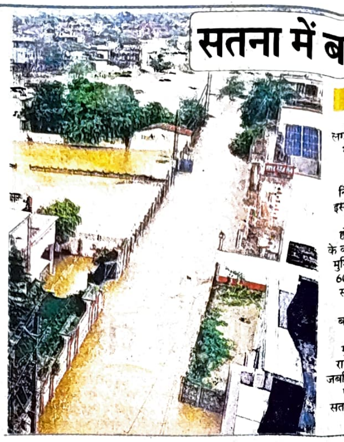

सतना में बाढ़ जैसे हालात, चित्रकूट में 400 दुकानें डूबीं

मंदाकिनी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही, मुख्य रास्ते बंद, 36 गांवों में अलर्ट

सतना @ पत्रिका. चित्रकूट लगातार 5 दिन से बाढ़ की चपेट में है। निचले इलाके मंदाकिनी की बाढ़ से घिरे हैं। नदी का जलस्तर कई बार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाजार, दुकानें और होटल बंद पड़े हैं, जबकि बाढ़ के कीचड़ के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है। चित्रकूट के 60 फीसदी हिस्से में तबाही का सन्नाटा पसरा है। बुधवार शाम तक मंदाकिनी का जलस्तर बढ़कर लंका तिराहे तक पहुंच गया, जिससे कामदगिरि का मुख्य पहुंच मार्ग बंद हो गया। रामघाट पूरी तरह डूबा हुआ है, जबकि नयागांव भी जलभराव से प्रभावित है। मौसम विभाग ने सतना जिले में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

सतना में लगातार 18 घंटे बारिश

सतना में 18 घंटे की लगातार बारिश से नगर के कई क्षेत्रों में पांच फीट तक पानी भरा है। वहीं मझगवां, बिरसिंहपुर, कोटर और रामपुर बाघेलान तहसील के 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ आ गई है। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से करीब दो मीटर ऊपर बह रही है। रामघाट क्षेत्र की करीब 400 दुकानें और 20-25 होटल पानी में डूब गए हैं। करीब 36 गांवों को अलर्ट किया गया है।

पिकअप और बाइक बही, चार लोगों को बचाया

रीवा. बैकुंठपुर-लालगांव मार्ग पर फूल गांव के समीप महाना नदी के जलमग्न पुल को पार करते समय पिकअप और बाइक तेज बहाव में बह गईं। वाहन सवारों ने ऊपर चढ़कर जान बचाई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों वाहन पानी में डूब गए हैं।

टूटे पुल में गिरा चार पहिया वाहन, बाल-बाल बचे लोग

सतना. बिरसिंहपुर तहसील के बहेरा करौदी मार्ग में टूटे पुल से वाहन निकाल रहे लोग उफनते नाले में गिर गए। लोगों ने इन्हें बाहर निकाला इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जाता है कि धारकुंडी की ओर से मारकुंडी के कुछ लोग वाहन से निकल रहे थे। वाहन जैसे ही पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में पहुंच तो वाहन पानी में गिर गया, और वाहन में सवार लोग नाले में फंस गए।

न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का रास्ता साफ

जबलपुर @ पत्रिका. मध्य प्रदेश में जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला न्यायपालिका के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर सकारात्मक विचार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

मध्य प्रदेश के लिए यह मामला विशेष महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल कोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी रखी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 के आदेश में भी कहा था कि प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट दोनों इस वृद्धि के पक्ष में निर्णय ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को सामान्य सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष करने संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
नवरत्न कम्पनी
(भारत सरकार का उपक्रम)
वेबसाईट : www.ircon.org, CIN - L45203DL1976GOI008171

ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस

ई-निविदा संख्या : IRCON/2074/KATNI-GS/Tender/Gauge Face Lubricator/ दिनांक : 24.08.2026

पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से जिला–कटनी (म.प्र.) में "अप कटनी ग्रेड सेपरेटर परियोजना के संबंध में ट्रैक आधारित रेल गेज फेस लुब्रिकेटर (इलेक्ट्रॉनिक प्रकार) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग" के कार्य के लिए योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य की अनुमानित लागत	रु. 3,33,49,539.36
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	14.09.2026 अपराह्न 03:00 बजे

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app देखें। शुद्धि पत्र, यदि कोई होगा तो, केवल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

महाप्रबंधक / परि. प्रमुख / फेजीएस / इरकॉन

बिजनेस न्यूज

शंघाई रैंकिंग 2026 में सवीता विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर

भोपाल @ पत्रिका. सवीता विश्वविद्यालय ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह संस्थान शंघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज (एआरडब्ल्यूयू) 2026 में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के बीच भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। विश्वविद्यालय ने वैश्विक रैंकिंग में 501-600 के प्रतिष्ठित बैंड में अपना स्थान सुरक्षित किया है। गौरतलब है कि शंघाई एआरडब्ल्यूयू विश्वविद्यालयों को उनके शैक्षणिक और अनुसंधान प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर रैंक करता है। इसमें पूर्व छात्रों और संकाय सदस्यों द्वारा जीते गए नोबेल पुरस्कार व फील्ड्स मेडल, अत्यधिक उद्धृत शोधकर्ता, 'नेचर' और 'साइंस' पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र, प्रमुख उद्धरण सूचकांकों में शामिल शोध पत्र और संस्थान का प्रति व्यक्ति शैक्षणिक प्रदर्शन शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर 2500 से अधिक विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में से केवल शीर्ष 1000 को ही इस रैंकिंग में प्रकाशित किया जाता है।

ऋण वसूली अधिकरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग, (बैंकिंग प्रभाग)
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड, प्रधान डाकघर के पास, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर (म.प्र. 482001)

ई-नीलामी सूचना **ई-नीलामी क्रमांक- 175/2026**

Case No.: RC 213/2025 in O.A. No.941/2024

IDBI Bank Ltd. वि. SMT. SHUBHA BHARADWAJ एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाणपत्र क्रमांक RC No. RC 213/2025/ O.A. No.941/2024 में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र Rs.57,30,056.00 (Rupees Fifty Seven Lakh Thirty Thousand Fifty Six only) तथा उस पर 10.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दिनांक 22.07.2024 से ब्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाईट https://baanknet.com के माध्यम से की जायेगी।

ई– नीलामी की तिथि एवं समय: 07-10-2026 दोपहर: 12.00 से 01.00 बजे तक

क्र. सं.	विक्रय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण	आरक्षित/न्यूनतम मूल्य	ई.एम.डी. राशि
1.	All the piece and parcel of land area 2450 sq.ft., Mouza Sanjeevni Nagar, Jabalpur Development Authority, Scheme No.6 lease Plot No.-815, Corp. House No.-136, Veer Savarkar Ward, District - Jabalpur (M.P.) 482003; property in the name of Smt. Shubha Bharadwaj W/o Shri Rajesh Bharadwaj	Rs.1,18,60,000.00 (Rupees One Crore Eighteen Lakh Sixty Thousand only)	Rs.11,86,000.00 (Rupees Eleven Lakh Eighty Six Thousand only)

विक्रय की शर्तें एवं नियम

1. विक्रय की सभी शर्तें ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होंगी।
2. इच्छुक बोलीदाता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
   नीलामी एजेंसी - Bank Asset Auction Network (BAANKNET)
   हेल्पलाइन नं - +91-82912 20220
   हेल्पलाइन ईमेल - support.baanknet@psballiance.com
   बैंक अधिकारी - Shri Sanjay Kumar Bhol, Manager, Mob. No. - 95568 28284
   संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय - 16-09-2026 दोपहर 12:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक।
3. इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विक्रय की शर्तों हेतु वेबसाइट https://baanknet.com का अवलोकन करें।
4. बोलियाँ (bids) केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएँगी। प्रत्येक बोली के साथ पैन कार्ड की प्रति पते का प्रमाण, पहचान पत्र, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व / अधिकार-पत्र (Power of Attorney/ Authorization) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण, क्षेत्रफल/माप, प्रभारों (Encumbrances), दायित्वों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संबंधित सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हो लें। इस संबंध में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि, विसंगति, कमी अथवा विवाद के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. for Rs.11,86,000.00 (Rupees Eleven Lakh Eighty Six Thousand only) ईएमडी के रूप में BAANKNET वॉलेट में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।
6. ऑनलाइन बोली दिनांक 05-10-2026 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।
7. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रपत्र एवं संलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, डीआरटी, जबलपुर, द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य डाकघर के निकट, दक्षिण सिविल लाइन्स, जबलपुर को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।
8. ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्राप्त उच्चतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि रु. Rs. 1,20,000.00 (Rupees One Lakh Twenty Thousand only) होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
9. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा अन्यथा राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. स्थावर संपत्ति के मामले में सफल उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर, बोली राशि का 25% (ईएमडी घटाकर) CENTRAL BANK OF INDIA, DHOBIGHAT BRANCH, JABALPUR में वसूली अधिकारी, ई नीलामी खाता, डीआरटी जबलपुर, खाता संख्या 5692799461, आईएफएससी कोड CBIN0281618 में RTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा। चूक होने पर संपत्ति पुनः विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता को शेष 75% राशि तथा विक्रय राशि का 1% पाउंडेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त रु.10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित खाता संख्या 5692799461 में आरटीजीएस (RTGS) / एनईएफटी (NEFT) / मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि पंद्रहवाँ दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात् आने वाले प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, संपत्ति के विक्रय हेतु नवीन विक्रय उद्घोषणा (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त (Forfeited) कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला क्रेता (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विक्रय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना समस्त दावा एवं अधिकार खो देगा।
12. संपत्ति का विक्रय 'जैसी है जहाँ है तथा बिना किसी शिकायत के आधार पर (As is Where is and No Complaint Basis) किया जाएगा।
13. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
14. वसूली अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय स्थगित / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व अभिलेखों का अवलोकन करें तथा संपत्ति की पहचान, विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करें। इसकी शुद्धता के लिए डीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।
16. बोलीदाता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना उनकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टम क्रैश या विद्युत व्यवधान के लिए डीआरटी / बैंक / सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।
17. उच्चतम बोली "अनुमोदन के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। विक्रय की पुष्टि होने तक बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।
18. विक्रय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
19. विक्रय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिनके नाम बोली प्रपत्र में उल्लिखित हैं।
20. विक्रय प्रमाणपत्र में बोली प्रपत्र में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. बोलीदाता अपने यूजर आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी प्रकट न करें।
22. बोलीदाताओं को समय विलंब, अधिक ट्रैफिक, सिस्टम / विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।
23. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्थान– जबलपुर
दिनांक– 04/08/2026

प्रीति देसाई वसूली अधिकारी।
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर, लोककर्म विभाग

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार/मान्यता प्राप्त फर्म से निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_480803_1 PRO- 529 दिनांक : 02/09/2026	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड अन्तर्गत चन्दन कालोनी में पेवर ब्लाक का कार्य। (अध्यक्ष अनुशंसा) द्वितीय निविदा	02 माह 12.71 लाख	2000/- 4230/-	21/09/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईड https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर, लोककर्म विभाग

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार/मान्यता प्राप्त फर्म से निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_507216_1 PRO-530 02/09/2026	श. भगत सिंह अन्तर्गत शनि मंदिर के काली मंदिर तक नाला निर्माण का कार्य (पार्षद अनुशंसा) द्वितीय निविदा	02 माह 12.71 लाख	2000/- 9533/-	07/10/2026
2	2026_UAD_507216_2 PRO- 530 02/09/2026	शहीद भगत सिंह वार्ड क्र. 63 के अन्तर्गत तुलसी नगर क्षेत्र में टोनी रावत के मकान से पंडा सैलून के पास कवर्ड नाली निर्माण कार्य। (पार्षद अनुशंसा) द्वितीय निविदा	02 माह 4.07 लाख	2000/- 4070/-	21/09/2026
	2026_UAD_507216_3 PRO- 530 02/09/2026	शहीद भगत सिंह वार्ड क्र. 63 के अन्तर्गत सराफीपल क्षेत्र में साई मंदिर वाली गली से सडक व पुलिया निर्माण कार्य। (पार्षद अनुशंसा) द्वितीय निविदा	02 माह 4.02 लाख	2000/- 4020/-	21/09/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईड https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, जबलपुर

जैकेट के शेष

महिला...

वायरल वीडियो में कल्पना कह रही थी कि उसे ये डॉक्टर मार डालेंगे, बचा लो। कल्पना की मौत के बाद परिजन की कार्रवाई की मांग पर अधीक्षक डॉ. मिश्रा ने शर्मनाक बात की थी। कहा था, 22 साल की लड़की को प्रेगनेंट क्यों करवाया। इस बयान की देश में निंदा हुई। मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो अब डॉ. राहुल मिश्रा को हटाया गया है। वे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के भांजे हैं। विपक्ष ने शुक्ल को भी कठघरे में खड़ा किया। इधर, कल्पना के पिता रामशिरोमणि मिश्रा ने सिरमौर चौराहे पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से दो लाख रुपए आर्थिक सहायता पर कहा, ये पैसे उनके जम नहीं भर सकते। बेटी और नवजात शिशु की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। इसलिए मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल अधीक्षक, ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया जाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे अनशन पर बैठे रहेंगे।

राम वनगमन....

रिपोर्ट के अनुसार स्कंद पुराण में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण ने नर्मदा के दक्षिण तट पर तपस्या के दौरान इन्हें एक ही जिलहरी पर स्थापित किया था। इन स्थलों का कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की पुस्तक लोपामुद्रा, इतिहासकार राजकुमार गुप्ता की मालवा अवंतिका इतिवृत्त और अयोध्या प्रसाद द्विवेदी की सरित वाहिनी में भी मिलने की बात रिपोर्ट में कही गई है।

पेज 01 के शेष

7.8% या 2.6%...

सरकार को समझना होगा पीआर से जीडीपी की तस्वीर चमकाई जा सकती है, अर्थव्यवस्था नहीं। गर्ग ने किया था दावाः पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दावा किया कि 2025-26 की पहली तिमाही के लिए जिस आंकड़े को बेस बनाया गया है, उसे सरकार ने पहली बार जारी किया है। इसलिए इसकी तुलना उस बेस से करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए।' उन्होंने कहा कि पिछले साल की मौजूदा कीमतों (नॉमिनल जीडीपी) के अनुमान को 86.05 लाख करोड़ से घटाकर 80 लाख करोड़ कर दिया गया, ताकि चालू वर्ष की विकास दर ज्यादा दिखे। अगर पिछले साल जारी किए गए करंट प्राइस वाले जीडीपी आंकड़ों को लिया जाता और कीमतें नहीं बदली होतीं, तो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ 2.5% से भी कम होती।' उन्होंने जून तिमाही में 88.27 लाख रुपए की नॉमिनल जीडीपी की तुलना पहली तिमाही में 86.05 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से की।

ऐसा था....

पहले यमुना नदी मंदिर के बिल्कुल पास से बहती थी। अब उसका रास्ता बदल गया है, वो मंदिर से आधा लीग (करीब 2.4 किमी) दूर बहती है।

18 किमी दूर से दिखता था: मंदिर निचली जगह पर बना था, फिर भी शानदार ढंग से ऊंचा होने के कारण 5-6 कोस दूर से दिखता था। यह आगरा के पास एक खदान से निकाले लाल पत्थरों से बना था। इसके कुछ पत्थर 15 फीट लंबे और 10 फीट तक चौड़े थे।

कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर
पत्र क्रमांक- संपदा (लीज)/ 2026/ 81
दिनांक- 01/09/2026

लीज नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमति किरण रजक पत्नि स्वर्गीय श्री राकेश बाबू रजक, श्री हिमेंद्र रजक पिता स्वर्गीय श्री राकेश बाबू रजक एवं पारूल रजक पुत्री स्वर्गीय श्री राकेश बाबू रजक ने म्यु. प्लाट क्रमांक- 99, डायवर्सन प्लाट क्रमांक 509, डायवर्सन शीट नंबर-153/डी, राईट टाउन एक्सटेंशन के भाग क्षेत्रफल 1650 वर्गफुट पर वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपना संयुक्त नाम दर्ज करने तथा लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। जिस किसी को भी आपत्ति हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर कमरा नंबर-23, संपदा शाखा में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

सहा. आयुक्त (संपदा)
नगर निगम, जबलपुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं श्रीमती द्रोपदी बाई पति दुलीचंद राजपूत उम्र 66 वर्ष लगभग, निवासी- वार्ड नं. 78 म. नं. 748 व्हीकल स्टेट, इन्द्रानगर जिला जबलपुर (म.प्र.) शपथपूर्वक कथन करती हूँ। कि मैं उपरोक्त पते की निवासी हूँ। यह कि मेरा नाम द्रोपदी बाई (DRAUPADI BAI) पति दुलीचंद (DULI CHAND) है एवं शासकीय दस्तावेजों में भी अंकित है, लेकिन मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड में द्रोपती राजपूत अंकित हो गया है। चूंकि मेरा नाम द्रोपदी बाई है, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

सही नाम - द्रोपदी बाई पति दुलीचंद
DRAUPADI BAI W/O DULI CHAND
गलत नाम - द्रोपती राजपूत पति दुलीचंद

भारत दूरसंचार DOT INDIA TELECOM | Government of Madhya Pradesh | INVEST MADHYA PRADESH | MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD

TELECOM MANUFACTURING ZONE
Gwalior, MADHYA PRADESH
India's Integrated Telecom Manufacturing & Testing Destination
Atmanirbhar Bharat Vision
Complete Telecome Value Chain@One Destination

Inviting Applications for Land Allotment
Starts on 3rd September 2026 (10:00 am)
Closes on 11th September 2026 (06:00 pm)

Visit and Apply on the website:
https://sws.invest.mp.gov.in/eol/TMZ_Gwalior

WHY INVEST HERE
170 Acres of Telecom Manufacturing & Testing Ecosystem with Plug-and-Play Infrastructure
Special Policy Package for Phase I in Telecom Manufacturing Zone, Gwalior

Land Premium @₹1 | Lease Rent @ ₹1/Sqm | Stamp Duty 100% Reimbursed
Power Rebate @ ₹2/Unit | Water @ ₹25/KLD | Capital Subsidy up to ₹200 Cr

Central Support - ₹493 Cr from DoT

Connectivity & Logistics
- Gwalior Airport – 8 km • Railway Station – 15 km
- NH-44 / DNIC – 5 km • Agra-Gwalior Expressway – 30 km
- ICD Malanpur – 35 km • Delhi-NCR – 300 km
- Adjacent to Central ISBT – direct workforce transit

High-End Testing & Certification Labs
- 5G Core Nfs • 5G/4G RAN • Fixed Radio Systems

- Wi-Fi CPE • IoT Devices • OLT and ONT PON
- SatCom – VSAT • BUC • LNA/LNB • Modem • NGSO
- OFC • SIM and eUICC • Routers – BNC, MPLS, IPv6

Incentives to Scale Production
- 50% capital subsidy, up to ₹200 Cr per unit
- Standalone R&D support – 25%, up to ₹25 Cr
- ₹5,000/ month per new employee training support • ₹13,000
- 50% export freight subsidy up to ₹2 Cr • ₹10 Cr for ZLD

₹12,000 Cr Targeted Investment | 10,000+ Direct Employment | 170 Acres IT Park + Kuletha, SADA

Scan to Apply

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND INVESTMENT PROMOTION)
ed.rogwl@mpidc.co.in | +91-755-2575618

M.P. Madhyam/127859/2026